कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रांक 3269/13–नलनी दिनांक 7/10/2017.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल ।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल–कालाढुंगी मोटर मार्ग के कि0मी0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण एंव सुधार कार्य के निर्माण हेतु 0.495 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। ।

संदर्भ– अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून का पत्रांक 1361/FP/UK/Road/8979/2016 दिनांक 09.11.2016 /वन एंव पर्यावरण, अनुभाग –4 उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 785/X–4–16/1(224)/2016 दिनांक 02.11.2016 इस कार्यालय का पत्रांक 2715/13–2–1 दिनांक 3–4–2017 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में वन एंव पर्यावरण, अनुभाग –4 उत्तराखण्ड शासन की के सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना हैं ।

1– शर्त न0 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आस पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रू0 2,08,914.00 (रू0 दो लाख आठ हजार नौ सौ चौदहः) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 596/3–5–2 दिनॉक 19–8–2015 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया हैं ।

2– शर्त न0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया 3,25,215.00(रू0 तीन लाख पच्चीस हजार दो सौ पन्द्रह)मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं ।

3– अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 1 में उल्लेख किया गया हैं कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया हैं कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोट किया जायेगा । उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोट करेंगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगें ।

4– शर्त न0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का बजनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना हैं कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0की दरों में बढोत्तरी होती हैं तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी ।

5– शर्त न0 4 मे निर्देश दिये गये हैं कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सख्या 5–3/2007–एफ.सी दिनॉक 5–2–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0)तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण CAMPA के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 –एस0बी0– 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लौक–11, भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी ।

6–शर्त न0 5 में निर्देश दिये गये हैं कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एंव भारत सरकार की पत्र सं0 5–3/2007–FC दिनांक 05.02.2009. के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 –एस0बी0– 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लौक–11, भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण,प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी ।

7– शर्त न0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकारण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियॉं एंव भू–वैज्ञानिक के सूझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा ।

8– शर्त न0 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक होने की स्थिति में राज्यसरकार , पर्यावरण एंव वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित हैं ।

9–शर्त न0 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेख/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।

10–शर्त न0 9 के अनुसार उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी ।

11–उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकार, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त पत्र के बिंदु सं0–2 में उल्लिखत किया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण सैद्धातिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की बिंदुवार अनुपालन आख्या, भारत सरकार के www.forestclearenc.nic.in पर online अपने user account में जाकर stage II clearence में पहले mutation की details भर कर समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या online अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकार, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादूनको प्रेषित की जानी है तथा hard copy इस कार्यालय को भी प्रेषित करें । तत्पश्चात अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकार, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

अतः शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके ।

भवदीय,

11/10/17

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

पत्रॉक / उक्तदिनॉकित ।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।